

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

25/3/24

पत्तावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत वाद में बनील वारी द्वारा कथन किया गया कि परिवारी सं. 1 भंवरलाल के निरह निवासेट अति ग्राम निवासा तटलील साकांजमंडी के सं. नं. 758 रकबा 0.65 हेक्टर व सं. नं. 783 रकबा 0.74 हेक्टर के साकेड सं. नं. 618 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, सं. नं. 593/7 रकबा 4 बीघा कुल 8 बीघा 12 बिस्वा अति के लखंड में एड अप्रीहट (सादा) दान-पत्र दिनांक 26.7.1985 पर आधारित घोषणापत्र अनुसूच एवं लघु लखंड हेतु पेश किया गया है।

उपरोक्त पत्तावली आदेशिका का अधिन उपरोक्तन किया। उक्त वाद पूर्व में वारी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 05.3.2024 को अदम राजिरी अदम पेशी में स्वारीत किया जा चुका है जिसे वारी के अधिन पत्र के अंतर्गत सिद्ध स्वीकार का कारण दिया गया। अध्यालय की आदेशिका दिनांक 6.10.2025 के अनुसार यह नथ रिपोर्ट पर आप कि मुख्य परिवारी सं. 1 भंवरलाल की प्रस्तुत वाद लखंड करने से पूर्व ही ले चुकी थी। अतः निहांत के अनुसार मृत लखंड के निरह पेश किया गया था 'शून्य' होना है।

उक्त वाद के दावे में लखंडन का प्रत्यक्ष के अनुसंधारियों को जोड़ने का लाभ भी लखंड परिस्थितियों में ही मिलना है।

*Che*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी

P.T.O.

नम्बर प जारी  
अहमम जो  
हुकम को ताम  
में जारी

जो भंग वाली दारा सिद्ध नहीं किया  
गया है।

युक्ति, प्रतिवादी लं.। देकर जाल  
अनुसूचित जनजाति (पीएल) के सम्बन्धि  
ध, अतः रज. कारत. आदिनेमप ही दारा  
42 के तहत उम्मी प्रमि न ही दारा  
गैर अनु. जा/ जोर के प्रक वे तन्मंतरण  
प्रतिबंधित है। एक अंतर्गत (मार्ग)  
दान-पत्र के आधार पर हेतु (मार्ग)  
ग तन्मंतरण आगुनन जति प्रमि  
अन प्रका रूप अन निरुद्ध  
संयुक्त है कि जारी न के सम्बन्धि  
-आयालय में उपस्थित रज प्र  
न ही उम्मी मृत व्यक्त रज प्र  
दान पेश करने की गौर विद्व  
प्रति डा अति नितारण विधि  
अन परिशिष्टि लके प्र मह पार आगु  
ही गप्रा प्र चलने योग्य नहीं पाया  
जाता है। अतः जारी दारा प्रक  
पार अन्त प्ररवी प्र मृत व्यक्त  
के विरुद्ध संस्थित लेने के कारण  
प्रोचनीय न होने के कारण  
जाता है। रजारीय विधि

पत्रावली प्र  
नम्बर ले अन प्रमला प्रपा नोडा  
की प्रम। प्र दारिह दपत  
निर्णय आज दिनांक 25/3/2026  
के लिये न्यायालय में सुनाया गया।

Che  
चार नमि L.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी